



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082024-256813  
CG-DL-E-31082024-256813

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 229]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 30, 2024/ भाद्र 8, 1946

No. 229]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 30, 2024/ BHADRA 8, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2024

सं. 21/2024

विषय: विदेश व्यापार नीति, 2023 के परिशिष्ट 2ड से उद्गम प्रमाण पत्र (गैर तरजीही) जारी करने के लिए प्राधिकृत एजेंसी को सूची से हटाने के संबंध में।

फा. सं. 01/89/180/24/एएम-24/पीसी-2(क)/ई-40484.—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 के पैरा 2.04 के साथ पठित पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा उद्गम प्रमाण पत्र (गैर तरजीही) जारी करने हेतु विदेश व्यापार नीति 2023 के परिशिष्ट 2ड से निम्नलिखित एजेंसी को तत्काल प्रभाव से सूची से हटाते हैं, जिसे विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा सार्वजनिक सूचना सं. 11/2015-2020 दिनांक 01.07.2021 द्वारा पहले सूचीबद्ध किया गया था:

मैसर्स ओरिएन्टल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री

प्लॉट सं. 11 कोटक महिन्द्रा बैंक के ऊपर, इंदिरा नगर

मंडीदीप-462042, जिला-रायसेन, मध्य प्रदेश

दूरभाष सं. 9827622438, 9893981916

ई-मेल: [occimdp@gmail.com](mailto:occimdp@gmail.com)

2. तदनुसार, उपर्युक्त एजेंसी का नाम विदेश व्यापार नीति 2023 के परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट 2ड. [उद्गम प्रमाण पत्र (गैर-तरजीही) जारी करने हेतु प्राधिकृत एजेंसी की सूची] के क्रम सं. 07 (मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़) से हटाया गया है और साथ ही डीजीएफटी के सामान्य डिजिटल प्लेटफार्म से डी-बोर्ड किया जा रहा है।

**इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:**

मैसर्स ओरिएण्टल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इन्डस्ट्री को उद्गम प्रमाणपत्र (गैर तरजीही) जारी करने हेतु विदेश व्यापार नीति, 2023 के परिशिष्ट 2ड. से हटाया गया है। अब से उपर्युक्त चैम्बर/एजेंसी उद्गम प्रमाण पत्र (गैर-तरजीही) जारी करने हेतु प्राधिकृत नहीं होगी।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

**(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)**

**PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 30th August, 2024

**No. 21/2024**

**Subject: Delisting of an Agency Authorized to issue Certificate of Origin (Non Preferential) from Appendix 2E of FTP, 2023- reg.**

**F. No. 01/89/180/24/AM-24/PC-2(A)/E-40484.**—In exercise of the powers conferred under Paragraph 1.03 read with paragraph 2.04 of Foreign Trade Policy (FTP), 2023, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby delist the following agency from Appendix 2E of FTP 2023 to issue Certificate of Origin (Non Preferential), with immediate effect, which was earlier enlisted by the DGFT, vide Public Notice No. 11/2015-2020 dated 01.07.2021:

M/s Oriental Chamber of Commerce and Industry  
Plot No. 11 above Kotak Mahindra Bank, Indira Nagar  
Mandideep-462042, Dist. Raisen, Madhya Pradesh  
Tel. No. 9827622438, 9893981916  
E-mail: occimdp@gmail.com

2. Accordingly, the name of the above agency is removed from Serial No.07 (Madhya Pradesh/ Chhattisgarh) of Appendix 2E [List of Agencies authorized to issue Certificate of Origin (Non Preferential)] to Appendices & Aayat Niryat Forms of FTP 2023 and also being de-boarded from the Common Digital Platform of DGFT.

**Effect of this Public Notice:**

M/s Oriental Chamber of Commerce & Industry is delisted from Appendix 2E of FTP 2023, for issuing Certificate of Origin (Non- Preferential). Henceforth, the said chamber/ agency shall not be authorized to issue Certificate of Origin (Non- Preferential).

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex- officio Addl. Secy.